राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(17)एमई / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांक 08 JUL 2016

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम–5 के अन्तर्गत जनरल सर्जरी विशिष्ठता के चिकित्सक शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 21.9.2015 को आयोजित की गई थी।

डॉ. अजय मालवीय, तत्कालीन सह आचार्य, जनरल सर्जरी (निलम्बित) को कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(58)कार्मिक / क–3 / 2011 दिनांक 19.10.2012 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 21.9.2015 की अनुशंषाओं पर डॉ. मालवीय को दिनांक 01.4.2013 के बजाय दिनांक 01.4.2014 से डीएसीपी स्कीम के तहत आचार्य से वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी।

कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(2)(3)कार्मिक / क–3 / जांच / 2015 दिनांक 02.12.2015 के द्वारा डॉ. मालवीय के विरूद्ध प्रश्नगत दण्डादेश को अपास्त कर उनको भविष्य में अधिक सर्तक रहकर कार्य करने के लिए सावचेत रहने के आदेश प्रदान किये गये है।

कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 02.12.2015 के सन्दर्भ में डीएसीपी स्कीम के संबंधित नियमों के तहत जनरल सर्जरी विशिष्ठता की दिनांक 21.9.2015 को आयोजित डीएसीपी स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक की अनुशंषाओं को डॉ. अजय मालवीय, वरिष्ठ आचार्य के प्रकरण में रिव्यू किया गया। रिव्यू स्क्रिनिंग कमेटी की अनुशंषा पर बैठक दिनांक 21.9.2015 की अनुशंषाओं में से डॉ. अजय मालवीय, आचार्य के संबंध में उन्हें दिनांक 01.4.2014 से वरिष्ठ आचार्य पद पर पदोन्नति की गई अनुशंषा को निरस्त कर, उसमें से डॉ. मालवीय का नाम विलोपित किया जाता है एवं डॉ. मालवीय की पात्रता अनुसार उनको जनरल सर्जरी विशिष्ठता के अन्य चिकित्सक शिक्षकों की भांति डीएसीपी स्कीम के तहत दिनांक 01.4.2013 से वरिष्ठ आचार्य के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

(डी.एल. तवंर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज.,जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज.,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव